संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA
Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900
Fax: 91-0522- 2668017,2668078

आत्मना सर्गो जित

पत्रांक–पी0जी0आई0 / मु0चि0अ0 / अधि0 / 1496 / 2020 दिनांक 21.5. 2020

कार्यालय आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–2282 / 71–1–20–जी–228 / 2017 टी.सी.–5 दिनांक 19.05.2020 द्वारा प्रदेश के कोविड चिकित्सालयों हेतु सम्यक प्रबन्धन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

सम्बन्धित चिकित्सकों, अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों से अपेक्षित है कि शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित जाए।

संलग्नक–यथोक्त।

(प्रो0 अमित अग्रवाल)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक / अपर निदेशक।
2. चिकित्सा अधीक्षक।
3. समस्त नोडल आफिसर।
4. प्रो0 आर0के0 सिंह, इंचार्ज, आर0सी0एच0 / नोडल आफिसर कोविड–19।
5. चीफ नर्सिंग आफिसर / नर्सिंग इंचार्ज कोविड हास्पिटल।

(प्रो0 अमित अग्रवाल)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

Department of Biostatistics & Health Informatics
DISPATCH
No. 367
Dt. 22/5/2020
SGPGIMS, LKO.

Brinshu Bajpai 4:20 PM

RA

कोविड–19 / महत्वपूर्ण

संख्या– 2982 / 71–1–20–जी–228 / 2017टी0सी0–5

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

C.M.S./M.S. OFFICE
S.G.P.G.I.M.S., Lucknow
Sl. No. 6922
Date 20/5/2020

सेवा में,

1. निदेशक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
2. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. निदेशक, गर्वनमेन्ट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, ग्रेटर नोयडा।
4. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा।
5. निदेशक, हृदय रोग संस्थान एवं जे0के0 कैंसर संस्थान कानपुर।
6. कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुल सचिव, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई इटावा।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
9. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
10. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, समस्त निजी मेडिकल कालेज, उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 19 मई, 2020

विषयः– विभिन्न मेडिकल कालेजों / चिकित्सा संस्थानों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्थापित कोविड चिकित्सालयों के सम्यक प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में स्थापित 24 राजकीय क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं तथा 28 निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थाओं कुल 52 चिकित्सा संस्थाओं में डेडीकेटेड कोविड चिकित्सालय की स्थापना की गयी है तथा फेज–3 में कुल 10010 शैय्याएँ जिसमें आई0सी0यू0 शैय्याएँ शामिल हैं तथा आनुशांगिक व्यवस्थाओं का सृजन किया गया है यथा कोविड ओटी, कोविड पोस्ट ऑफ आई0सी0यू0, लेबर रूम तथा कोविड डायलिसिस की व्यवस्था की गयी है।

2– कोविड चिकित्सालय के सम्यक संचालन हेतु यह अपरिहार्य है कि प्रत्येक चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्थाएँ तथा प्रोटोकाल सुनिश्चित किया जाएः–

1. प्रत्येक कोविड चिकित्सालय का एक प्रभारी अधिकारी नामित किया जाए जो किसी क्लीनिकल विषय का सुयोग्य फैकल्टी सदस्य हो, तथा कर्मठ और अच्छी छवि वाला हो। उक्त प्रभारी अधिकारी को कोविड चिकित्सालय के अधीक्षक का भी दायित्व सौंपा जाए जिससे उसका प्रभावी नियन्त्रण विभिन्न क्रिया कलापों पर बन सके। यदि कोविड चिकित्सालय में एक से अधिक भवन हैं तो एक अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी भी तैनात किया जा सकता है।
2. कोविड चिकित्सालय में निर्धारित मानक के अनुसार मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं। प्रत्येक दो घण्टे पर प्रत्येक बेड पर मेडिकल / पैरामेडिकल दल के द्वारा राउण्ड अवश्य लिया जाए तथा रोगी के वाइटल्स तथा पल्स आक्सीमीटर से आक्सीजन सेचुरेशन नापने के साथ साथ अन्य आवश्यक परीक्षण व उपचार किए जाए। वार्ड में मोबाइल फोन को मेडिकल टीम के लिए उपलब्ध कराया जाय जिस पर Text के रूप में प्रत्येक Case का विवरण bedside पर अंकित किया जाय, जिससे इसे Casesheet पर ट्रन्सफर किया जा सके।
3. एक्टिव ड्यूटी में फैकल्टी के वरिष्ठ चिकित्सक अथवा प्रोफेसर / एडिशनल प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर, जिनकी आयु समान्यतया 55 वर्ष से कम हो अवश्य रखे जाए। ये चिकित्सक विशेषकर को–मोरबिड रोगियों तथा वेण्टीलेटर के रोगियों को व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करें तथा ऐसे रोगियों का पृथक से एक लॉग Casesheet के साथ रखा जाए जिसमें समस्त विवरण मय हस्ताक्षर अंकित किया जाए। समय से रोगियों को आक्सीजन प्रणाली पर रखा जाए तथा इसका भी पर्यवेक्षण नियमित रूप किया जाए।

CMS/file

Please circulate to all concerned paramedics

AAO for circulation to concerned nodal officers & CNO

20/5/20

DIRECTOR S.G.P.G.I.M.S., Lko.

Scanned with CamScanner

संख्या- (1)/71-1-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी आगरा/मेरठ/प्रयागराज/कानपुर/झाँसी/गोरखपुर/अम्बेडकरनगर/आजमगढ़/हारनपुर/कन्नौज/जालौन/बाँदा/बदायूँ/अयोध्या/बस्ती/बहराइच/उन्नाव/फिरोजाबाद/शाहजहाँपुर/गौतमबुद्धनगर/इटावा/ बरेली/मुज्जफरनगर/सीतापुर मथुरा हापुड़/बाराबंकी/लखनऊ/वाराणसी/मुरादाबाद /गाजियाबाद।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त दिशा-निर्देशों की प्रति प्रबन्धक/प्रधानाचार्य समस्त निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज को अनुपालन हेत अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

Scanned with CamScanner